झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में,

सीएमपी संख्या 397/2019

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर ने अपने विधि प्रकोष्ठ, एस. एन. गांगुली रोड, रांची

.. विपक्षी पार्टी/ उत्तरदाता/आवेदक

बनाम

1 सीमा देवी

2. निशा कुमारी

3. नीतेश कुमार

4. लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, जमशेदपुर

.....विपक्षी पार्टी/उत्तरदाता

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस एन पाठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ता के लिएः श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता

विपक्षी दलों के लिए : xxxx

04/18. 09. 2020 कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर, इस वाद पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार किया गया है।आज सुबह 10:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

के माध्यम से हुई इस कार्यवाही के संबंध में संबंधित वकीलों को कोई आपत्ति नहीं है।उन्हें ऑडियो और वीडियो की स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

विविध जमा करने के समय जमा की गई Rs.25,000/- की वैधानिक राशि को वापस लेने की अनुमति के लिए तत्काल सिविल विविध याचिका दायर की गई है। ।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वकील श्री मनीष कुमार द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार विविध अपील संख्या 99/2013 दाखिल करने के समय, टोकन संख्या जे-33 दिनांक 03.07.2013 द्वारा 25,000/- रुपये जमा किए गए थे.यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह विविध अपील सं. 99/2013 जिला न्यायाधीश-सह-मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा क्षतिपूर्ति मामला संख्या 246/2011 में पारित निर्णय/पंचाट दिनांक 05.03.2013 के खिलाफ अपील संख्या 99/2013 दायर की गई थी, जिसके तहत वादी द्वारा दायर दावे के मामले की अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता-अपीलार्थी को आवेदक-वादी को मामला दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ रु. 3,69,500 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

यह भी तर्क दिया गया है कि अपील दाखिल करते समय मोटर वाहन अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार 25,000/- रुपये की राशि जमा की गई थी और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 के अपने आदेश द्वारा अपील का निपटान किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता ने अपील दायर करने के समय जमा की गई 25,000/- रुपये की वैधानिक राशि वापस लेने की अनुमति के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

है।याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के विद्वत वकील के उचित प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए, उसे अनुमति दी जाती है.

याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को एक उचित आवेदन दायर करके संबंधित अधिकारियों के समक्ष संपर्क करना चाहिए, जिस पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाएगा और पूर्वोक्त वैधानिक राशि की वापसी के संबंध में इस आशय का एक आदेश पारित किया जाएगा।

सभी प्रक्रियाओं के अनुपालन के बाद पूरी प्रक्रिया को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

तदनुसार, तत्काल सी. एम. पी. को अनुमति दी गई है।

(डॉ0 एस0एन0 पाठक, न्याया0)

कुणाल/